(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ कोई विचार विमर्श किया है, और यदि हां, तो उस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को स्कूल अध्यापक के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति और परवर्ती सेवा लाभ दिए जाएंगे जिन्होंने नेपाली नागरिकता अर्जित कर ली हों। इस परिपत्र में अध्यापकों को यह निदेश भी दिया गया है कि वे इस तरह के नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(घ) सरकार ने राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ उठाया है। नेपाल की महामहिम की सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि 1971 से ही उनकी यही नीति चली आ रही है कि विदेशी अध्यापकों की जगह धीरे-धीरे नेपाली नागरिक रखे जाएं।

संस्कृत का अनिवार्य शिक्षण

*240. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षण को अनिवार्य किये जाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली स्थित संस्कृत के विद्वानों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, 1986 की शिक्षा नीति में निर्धारित त्रिभाषा सूत्र के व स्तविक और प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में भाषा शिक्षण के लिये इसमें निर्धारित प्रबंधों की समीक्षा की और सितम्बर 1988 में माध्यमिक स्तर के लिये अध्ययन योजना में संशोधन किये ताकि नीति के अनुसार भाषाओं का शिक्षण प्रदान किया जा सके।

दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर स्थित अनेक संस्कृत विद्वानों/विद्वानों ने सरकार के पास अपने प्रतिनिधि मंडल भेजा है और यह आशंका व्यक्त की है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित संशोधित अध्ययन योजना से स्कूलों में संस्कृत शिक्षण को आघात पहुंचेगा। सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने आशंका व्यक्त की कि संशोधित प्रबंध से संभवतः स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन रुक जायेगा। अखिल भारतीय संस्कृत महासम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल ने यह विचार व्यक्त किया कि त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के अध्ययन की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

सरकार का उद्देश्य कभी भी संस्कृत के महत्व को कम करने या स्कूलों में इसके शिक्षण को समाप्त करना नहीं था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केवल नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि बड़ी संख्या में छात्र गंभीरता के साथ संस्कृत का अध्ययन करें। तथापि, उच्चतम न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर की गई है और न्यायालय ने 17 मार्च, 1989 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें इसने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संस्कृत के अध्ययन को प्रभावित करने वाले सितम्बर 1988 के संशोधित अध्ययन योजना पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण किया गया है और सभी स्कूलों को अनुदेश दे दिया